एक हजार युवा उद्यमियों को रोजगार के लिए ऋण देगा उद्योग विभाग

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत युवाओं को मिलेगा लाभ, पांच लाख तक का कर सकेंगे स्वरोजगार

संवाद न्यूज एजेंसी

जौनपुर। उद्योग विभाग की तरफ से युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए पांच लाख तक का ऋण दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत जिले में एक हजार युवाओं को लाभान्वित किया जाना है। इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है।

इस पर आवेदन करने वाले लोग लाभान्वित होंगे। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान के तहत छोटे उद्यम शुरू करने के लिए पांच लाख तक का ऋण दिया जाएगा। इसके लिए शासन स्तर से ऑनलाइन पोर्टल बनाया जा रहा है।

पोर्टल संचालित होते ही इच्छुक व्यक्ति स्वरोजगार के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसमें वही व्यक्ति पात्र होंगे, जो प्रशिक्षित होंगे।

जैसे कौशल विकास मिशन, आईटीआई, पालिटेक्निक, मेडिकल, नर्सिंग, ऑटोमोबाइल आदि विधाओं से प्रशिक्षित होंगे। पोर्टल खुलते ही लोग आवेदन कर सकते हैं।

इस ऋण में तीन साल तक कोई ब्याज नहीं देना होगा। साथ ही इसमें 10 फीसदी यानी 50 हजार का अनुदान दिया जाएगा।

योजना के क्रियान्वयन को गठित की गई जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई

योजना के क्रियान्वयन के लिए जिला कार्यक्रम प्रबंधन इकाई गठित की गई है। यही समिति आवेदनों की जांच कराकर अनुमति प्रदान करेगी। इसमें डीएम अध्यक्ष और उपायुक्त उद्योग सदस्य सचिव होंगे। इसके अलावा आईटीआई के प्रधानाचार्य, पालिटेक्निक के प्रधानाचार्य, कौशल विकास मिशन, खादी ग्रामोद्योग अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी सदस्य बनाए गए हैं।

इस ऋण में तीन साल तक नहीं देना होगा कोई ब्याज

युवाओं के लिए स्वरोजगार शुरू करने के लिए बेहतर मौका है। इसलिए वे उद्योग विभाग के पोर्टल पर आवेदन कर ऋण प्राप्त कर सकते हैं। जिले को एक हजार युवाओं को ऋण देने का लक्ष्य मिला है, जिसकी तैयारी पूरी हो चुकी है। - **संदीप कुमार, उपायुक्त उद्योग।**